भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या **14A/2017-18**

श्याम लाल जामुदा बनाम **सोमा पुर्ति**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी सरायकेला के पत्रांक 527 दिनांक 27.6.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 14 A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता श्याम लाल जामुदा पिता–स्व0 बुद्धेश्वर जामुदा, ग्राम–केन्दपोसी, थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च तथा ऋण परिशोधन हेतु क्रेता श्री सोमा पुर्ति, पिता – स्व0 बान्दु पुर्ति, ग्राम– केन्दुपोसी, थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। केता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिकी की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
केन्दपोसी	303	30	185	0.15ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि आवेदक के पिता बुद्धेश्वर हो ई0 के नाम पर पंजी कायम है जिनका देहान्त हो चुका है। रैयत के मृत्यु उपरान्त उताराधिकारी हक पर आवेदक को आपसी बॉटवारा में प्राप्त कुल रकवा 4.79एकड़ भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 0.15 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.24 1/2 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना सरायकेला, जाति 'हो' जो अनुसूचित जन जाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.15एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।